प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तरांचल,पौडी

सेवामें,

मुख्य विकास अधिकारी,
देहरादून

पत्रांक /5-लेखा/एस.जी.एस.वाई./ग्रा०शि०इ०/2006-07 दिनांक नवम्बर 11, ,2006

विषयः- राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम सहस्त्रधारा रोड में आयोजित प्रदर्शनी उदघाटन में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव,ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन,देहरादून के शासनादेश संख्या 679/XI/06/01(मु०म०घो०)/06 दिनांक 9 नवम्बर 2006 से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय शिल्प इम्पोरियम केन्द्र सहस्त्रधारा रोड देहरादून के सौन्दर्यकरण,साज-सज्जा कम्प्यूटरीकरण आदि कार्यो हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन रू० 70.00 लाख के सापेक्ष तकनीकी परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार संस्तुत धनराशि रू० 28.94 ला० (रूपये अट्ठाईस लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न प्रकार प्राप्त हुई है.

क्र०स०	कार्य का नाम	विभाग द्वारा प्रस्तावित आगणन की धनराशि	टी.एस.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त आगणन धनराशि
1	एमफिथियेटर की दर्शकदीर्घा की छत	10.02	9.48
2	सुरक्षा कार्य व सौन्दर्यीकरण	22.44	18.35
3	उक्त मदो पर 4 प्रतिशत प्रासंगिक व्यय	2.15	1.11
	योग	34.61	28.94

वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू० 28.94 लाख (रूपये अट्ठाइस लाख चौरानब्बे हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जाती है.

1. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही है,अथवा बाजार भाव से ली गयी हो,की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा. तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी.
2. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा.
3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी,बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय.
4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें,तकनीकी दृष्टि को मद्दनजर रखते हुए लोकल निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें.
5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है,स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय.
6. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ताओं द्वारा अवश्य करा ले निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुसार कार्य कराया जाये.
7. आगणन में जिन मदो हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्ही मदो पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय.
8. एक मुश्त प्राविधान को कार्य कराये जाने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाय.
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टींग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग मे लाया जाय.

10. जी०पी०डब्लू०फार्म 09 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा.

11. मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन करने का कष्ट करें.

12. सामग्री क्रय करने से पूर्व स्टोर पर्चेज नियमों का पालन कड़ाई से करना सुनिश्चित किया जाये.

13. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय. कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेंसी का होगा. कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय.

14. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाये तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय. धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन/निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाये.

15. इस सम्बंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 के अनुपूरक अनुदान सं0 19 के लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–00–102–सामुदायिक विकास– आयोजनागत –11–राज्य ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम का विकास–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा.

16. उक्त मार्ग निर्देशों के अनुसार धनराशि व्यय करने हेतु धनराशि कोषागार से आहरण कर विशेष कार्याधिकारी,पी०एम०यू० ग्राम्य विकास शाखा,उत्तरांचल शासन देहरादून को हस्तान्तरित करें.

17. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 152/वि0अनु0–4/2006 दिनांक 6.11.2006 से प्राप्त सहमति के क्रम में सचिव,ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन,देहरादून के शासनादेश संख्या 679/XI/06/01(मु०म०घो०)/06 दिनांक 9 नवम्बर 2006 के अनुपालन में जारी किया जा रहा है.

18. उक्त आवंटन की प्रविष्टि ग्रामीण शिल्प इम्पोरियम बजट आवंटन पंजिका के पृष्ठ संख्या 03 पर अंकित कर दी गई है.

भवदीय,

(आर.एस.वर्मा)
उपायुक्त(कार्यक्रम)
कृते आयुक्त.

पत्रांक 2610 /5–लेखा/एस.जी.एस.वाई./ग्रा०शि०इ०/2006–07 दिनांक नवम्बर 17 ,2006

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

1. विशेष कार्याधिकारी,पी०एम०यू० ग्राम्य विकास,उत्तरांचल शासन,देहरादून.
2. महालेखाकार,उत्तरांचल ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड,माजरा देहरादून.
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल,पौड़ी.
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,देहरादून.(पंजीकृत)
5. मुख्य अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उत्तरांचल,देहरादून.
6. अधीक्षण अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा गढ़वाल परिमण्डल/अधिशासी अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा,पौड़ी.
7. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ.
8. सचिव,ग्राम्य विकास उत्तरांचल शासन,देहरादून.
9. निदेशक,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,देहरादून.
10. वित्त (बजट नियंत्रण) अनुभाग–4 उत्तरांचल शासन.
11. नियोजन अनुभाग,उत्तरांचल शासन.
12. गार्ड फाइल.

17/XI/06
उपायुक्त(कार्यक्रम)
कृते आयुक्त.

17/11/06 07